भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3032

उत्तर देने की तारीख 13 अगस्त, 2026

22 श्रावण, 1948 (शक)

खेल अवसंरचना का विकास

3032 श्री नारायण दास गुप्ताः

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत विकसित खेल अवसंरचना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने खेलो इंडिया योजना की प्रभावशीलता और इससे प्राप्त परिणामों का आकलन किया है;

(ग) अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ज़मीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं की पहचान करने और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (घ): 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण, खेल अवसंरचना का विकास, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए एथलीटों को वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं की पहचान और उनके पोषण के कार्य सहित खेलों के विकास की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। केंद्र सरकार महत्वपूर्ण कमियों को दूर करके उनके प्रयासों में सहायता करती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय देश में खेलों के विकास के लिए निम्नलिखित स्कीमों का कार्यान्वयन करता है:

i. खेलो इंडिया – राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम;
ii. राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) को सहायता;
iii. अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं और उनके कोचों को नकद पुरस्कार;

iv. राष्ट्रीय खेल पुरस्कार;
v. उत्कृष्ट एथलीटों को पेंशन;
vi.खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कार्यक्रम;
vii. राष्ट्रीय खेल विकास निधि;
viii. भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के माध्यम से खेल प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन; और
ix. राष्ट्रीय खेल विज्ञान और अनुसंधान केंद्र (एनसीएसएसआर)

उपरोक्त स्कीमों का विवरण इस मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण की वेबसाइटों पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित खेलो इंडिया स्कीम और राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) मांग-आधारित स्कीमें हैं, जिनके अंतर्गत खेल अवसंरचना के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों तथा अन्य पात्र निकायों से वित्तीय सहायता हेतु प्राप्त प्रस्तावों पर उनकी पूर्णता, तकनीकी व्यवहार्यता तथा स्कीम के अंतर्गत धनराशि की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाता है। खेलो इंडिया स्कीम और राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) के अंतर्गत देशभर में स्वीकृत खेल अवसंरचना परियोजनाओं तथा उनकी स्वीकृत लागत, जारी की गई धनराशि और उनकी वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण क्रमशः इस मंत्रालय के डैशबोर्ड https://mdsd.kheloindia.gov.in और https://www.nsdf.yas.gov.in/nsdf-glance.html पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

धनराशि स्कीम-वार आवंटित और जारी की जाती है, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और घटक-वार नहीं। देशभर में खेल विभाग की विभिन्न खेल विकास स्कीमों के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों के दौरान आवंटित धनराशि और किए गए व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रु.)

वित्तीय वर्ष	आवंटित धनराशि	किया गया व्यय
2025-26	2347.14	2228.88
2024-25	2332.50	2136.97
2023-24	2380.86	2329.35
2022-23	1907.69	1879.99
2021-22	1993.00	1748.76

खेलो इंडिया स्कीम के वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक के कार्यान्वयन के संबंध में तृतीय-पक्ष मूल्यांकन किया गया है। तृतीय-पक्ष मूल्यांकन का विवरण इस मंत्रालय के डैशबोर्ड https://mdsd.kheloindia.gov.in पर उपलब्ध है ।

*****